

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.01(01)न्याय/2025

जयपुर, दिनांक 05.01.2026

::अधिसूचना::

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, नवगठित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़), सांगोद (कोटा), उनियारा (टोंक), छोटी सादड़ी (प्रतापगढ़), चौहटन (बाड़मेर), बर (ब्यावर), केशोरायपाटन (बूंदी), नदबई (भरतपुर), चाकसू (जयपुर महानगर प्रथम) को अपनी अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के लिए उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के संबंध में अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है, एवं संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश भी नियुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

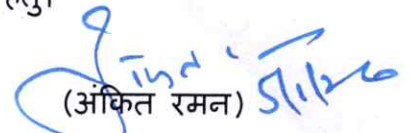


(राघवेन्द्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, जयपुर/चित्तौड़गढ़/कोटा/टोंक/प्रतापगढ़/बाड़मेर/ब्यावर/बूंदी/भरतपुर/जयपुर महानगर प्रथम।
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. एसीपी (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव